


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०१/आ०-०५-०४/२०१५..... ११०३ (१) दिनांक- १५/०९/०१ दिनांक- २२.०६.२०१५ को ०९.१५ बजे सिविल सर्जन, सिवान के औचक निरीक्षण के क्रम में डा० हरिशंकर सिंह, प्र० चि० पदा०, प्रा० स्वा० केन्द्र, दरौंदा, सिवान को अनुपस्थित पाए जाने के आरोप के लिए उनसे विभागीय पत्रांक- ६३४(१) दिनांक- २०.०७.२०१५ द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। डा० सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक- २८.०७.२०१५ में लिखा कि वे दिनांक- २२.०६.२०१५ को प्रातः ०७.०० बजे राष्ट्रीय पल्स पोलियों कार्यक्रम के तहत क्षेत्र भ्रमण के क्रम में सब डिपों भीखाबाँध चले गए थे, इसी बीच सिविल सर्जन, सिवान का औचक निरीक्षण हो गया। सिविल सर्जन, सिवान ने अपने पत्रांक ३०६ दिनांक- १२.०२.२०१६ द्वारा डा० सिंह के कथन का समर्थन किया।

संपूर्ण मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा० हरिशंकर सिंह, प्र० चि० पदा०, प्रा० स्वा० केन्द्र, दरौंदा, सिवान को चेतावनी की सजा दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक: ११०३ (१) /स्वा०, पटना, दिनांक: १५/०९/०१६

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ए० एवं ह०) बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अपर- निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें सारण प्रमंडल, छपरा/सिविल सर्जन, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० हरिशंकर सिंह, प्र० चि० पदा०, प्रा० स्वा० केन्द्र, दरौंदा, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा० के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी २,३,७,८,१०,११,१२, १७ एवं १८ए स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,